2012:CGHC:9104



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

## दांडिक अपील क्रमांक 231 / 2004

विनोद कुमार साहू व अन्य

विरूद्ध

छतीसगढ़ राज्य

**निर्णय**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु दिनांक 14-12-2012 को सूचीबद्ध करें।

**हस्ताक्षरित/-**

**आर. एस. शर्मा**

**न्यायमूर्ति**

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

## एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा

## दांडिक अपील क्रमांक 231 / 2004

**अपीलार्थीगण**

1 विनोद कुमार साहू
आत्मज- गेंदलाल साहू,
आयु- लगभग 22 वर्ष,
निवासी- ग्राम आमका,
पुलिस थाना- खड़गवां,
तहसील- मनेन्द्रगढ़
जिला- कोरिया (छ.ग.)

2 हेमंतचंद साहू
आत्मज- प्रभु नारायण साहू,
आयु- लगभग 26 वर्ष,
निवासी- ग्राम सकारिया,
पुलिस थाना- खड़गवां,
तहसील- मनेन्द्रगढ़
जिला- कोरिया (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**विरूद्ध**

**प्रत्यर्थी** छत्तीसगढ़ राज्य

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील**

---

**उपस्थितः** श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से

श्री विनय हारित, उपमहाधिवक्ता तथा श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से

---

# निर्णय

(दिनांक 14 दिसंबर, 2012 को पारित)

यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 440/2002 में पारित निर्णय दिनांक 27-2-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थीगण विनोद कुमार साहू और हेमंतचंद साहू को दोषसिद्ध किया गया है और उन्हें निम्नलिखित रीति से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें दण्डादेश साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है:

| दोषसिद्धि | दंडादेश |
|---|---|
| भादसं की धारा 341 व 341/34 के तहत | 1 माह का साधारण कारावास |
| भादसं की धारा 341 व 341/34 के तहत | 2 माह का कठोर कारावास |
| भादसं की धारा 376(2)(छ) के तहत | 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 1000/- रू. का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड व्यतिक्रम की स्थिति में 5 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

दिनांक 26-3-2002 को, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) पोड़ी बचरा हाई स्कूल से कक्षा 10वीं की परीक्षा देकर अपने ग्राम अमका वापस लौट रही थी। जब वह अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के पास पहुँची, तो दोनों अपीलार्थी आए और उन्होंने उसकी साइकिल पकड़ ली, जिसके कारण अभियोक्त्री (अ.सा.-4) नीचे गिर गई। इसके पश्चात, अपीलार्थीगण अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को अपीलार्थी हेमंत के घर के भीतर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतार दिए और उसके पश्चात उसके साथ संभोग किया। उस समय, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने कपड़े के एक टुकड़े से अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का मुँह दबा दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। कुछ समय बाद, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू की माँ घर आई और दरवाजा खोला, तब अपीलार्थीगण वहाँ से भाग गए और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) घर से बाहर आ गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को रास्ते में कमलेश्वरी (अ.सा.-8) मिली और उसने उसे घटना की जानकारी दी। उसने अपनी माता जुगनबाई (अ.सा.-5), सोनमती (अ.सा.-7) और फूलबसिया (अ.सा.-9) को भी घटना के बारे में बताया। उसने अपने पिता साधुराम (अ.सा.-6) को भी घटना की जानकारी दी। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने

पुलिस को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत किया। प्रदर्श पी-6 के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 341 और 342 सह पठित धारा 34 के तहत देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) दर्ज की गई। थाना खड़गंवा में नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-12) दर्ज की गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने पुलिस अधीक्षक, कोरिया को भी प्रदर्श पी-7 के माध्यम से लिखित शिकायत प्रस्तुत किया। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को प्रदर्श पी-13 के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेंद्रगढ़ भेजा गया। डॉ. श्रीमती एन. यादव रोहन (अ.सा.-2) ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दी, जिसमें उन्होंने दाहिने हाथ के पृष्ठीय भाग के मध्य हिस्से पर 1x0.5 सेमी का ठीक हो चुका खरोंच का निशान पाया, जिसके घाव के केंद्र में सूखी पपड़ी मौजूद थी। आयु निर्धारण के लिए अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को एक्स-रे परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. आशीष करण (अ.सा.-1) ने एक्स-रे लिया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दी, जिसमें उन्होंने अपनी राय दी कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) की आयु 17-19 वर्ष के बीच थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगामी अन्वेषण में, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के अंतःवस्त्रों को प्रदर्श पी-8 के माध्यम से जब्त किया गया। प्रदर्श पी-9 के माध्यम से घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया गया। अपीलार्थी हेमंतचंद साहू का अंडरवियर प्रदर्श पी-4 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू का अंडरवियर प्रदर्श पी-5 के माध्यम से जब्त किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के योनि स्वाब की स्लाइड को प्रदर्श पी-15 के माध्यम से जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-16 के माध्यम से न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीगण के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेंद्रगढ़ के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, सरगुजा (अंबिकापुर) को उपार्पित कर दिया, जहाँ से इसे अंतरण पर अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थीगण को पूर्वोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब से दर्ज की गई थी। लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) और देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) में, बलात्कार के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह झूठा

फंसाने का मामला है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के कथन को अनुचित रूप से बहुत अधिक महत्व दिया। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साक्ष्य में अंतर्निहित असंभाव्यताएं हैं, जो अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पक्ष की पूरी तरह से अनदेखी की गई। उन्होंने **राज्य विरुद्ध विक्की एवं अन्य, 2012 क्रिमिनल लॉ जर्नल 3904** का अवलंब लिया है।

4. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हारित एवं विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने सत्र प्रकरण क्र. 440/2002 के अभिलेख का अत्यंत सूक्ष्मता से परिशीलन किया है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि अभियोक्त्री (अ.सा.-4), जुगनबाई (अ.सा.-5), साधुराम (अ.सा.-6), सोनमती (अ.सा.-7) और कमलेश्वरी (अ.सा.-8) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अब, मैं सर्वप्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब के प्रश्न पर विचार करूँगा।

7. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह कथन किया कि दिनांक 26-3-2002 को, दोपहर लगभग 12 बजे, वह पोड़ी बचरा से अपनी साइकिल पर घर लौट रही थी। जैसे ही वह सकारिया में अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के पास पहुँची, दोनों अपीलार्थीगण ने उसे रुकने के लिए कहा। जब वह नहीं रुकी, तो दोनों अपीलार्थीगण ने उसकी साइकिल पकड़ ली। वह नीचे गिर गई। अपीलार्थीगण उसे अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के भीतर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अपीलार्थीगण ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबा दिया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने उसके कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतार दिए। उसके पश्चात, उसने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। उस समय, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबाकर उसे पकड़ रखा था। उसने आगे यह कथन किया कि उसने इस घटना की जानकारी अपनी माता जुगनबाई (अ.सा.-5) और पिता साधुराम (अ.सा.-6) को दी थी।

8. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह कथन किया कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत किया था। प्रदर्श पी-6 के आधार पर ही देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) दर्ज की गई थी। सहायक उप-निरीक्षक वी.एन. भारद्वाज (अ.सा.-10) ने यह साक्ष्य दिया कि दिनांक 27-3-2002 को अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने एक लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत किया था। प्रदर्श पी-6 के आधार पर ही उन्होंने देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) लिपिबद्ध की थी।

9. घटना की तिथि और समय दिनांक 26-3-2002 को दोपहर लगभग 12 बजे का है और लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) दिनांक 27-3-2002 को प्रस्तुत किया गया था। लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) में यह उल्लेखित है कि घटना के दिन अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के पिता बाजार गए हुए थे। वह रात्रि लगभग 10 बजे घर लौटे। जब वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तब गेंदलाल साहू, जो अपीलार्थी विनोद कुमार साहू के पिता हैं और जो नशे की हालत में थे, उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया और उनके साथ मारपीट भी की। ये तथ्य देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) में भी अंकित हैं। देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) दिनांक 27-3-2002 को प्रातः लगभग 8:30 बजे दर्ज की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. बलात्कार के मामलों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब का उपयोग अभियोजन के मामले को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए एक रस्मी सूत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायालय को इस बात की खोज करने और विचार करने के लिए सचेत करता है कि क्या विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। एक बार स्पष्टीकरण दे दिए जाने के बाद, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन के वृत्तांत में अलंकरण या अतिशयोक्ति की संभावना होती है, तो यह एक सुसंगत कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठा फंसाने के तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त वजनदार होता है।

11. **तुलसीदास कानोलकर विरुद्ध गोवा राज्य, (2003) 8 एससीसी 590** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकित किया है:

> "**5.** हम सबसे पहले विलंब के प्रश्न पर विचार करेंगे। असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब को

संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया है। किसी भी स्थिति में, जब बलात्कार के आरोप शामिल हों, तो विलंब अपने आप में अभियुक्त के लिए कोई शमनकारी परिस्थिति नहीं है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलंब का उपयोग अभियोजन के मामले को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए एक रस्मी सूत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायालय को इस बात की खोज करने और विचार करने के लिए सचेत करता है कि क्या विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। एक बार स्पष्टीकरण दे दिए जाने के पश्चात्, न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि वह संतोषजनक है या नहीं। यदि अभियोजन पक्ष विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है और ऐसे विलंब के कारण अभियोजन के वृत्तांत में अलंकरण या अतिशयोक्ति की संभावना होती है, तो यह एक सुसंगत कारक है। दूसरी ओर, विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण झूठे फंसाने के तर्क या अभियोजन के मामले की भेद्यता को खारिज करने के लिए पर्याप्त वजनदार होता है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य दर्शाता है, पीड़िता उस आपदा से पूरी तरह अनभिज्ञ थी जो उस पर आई थी। ऐसा होने के कारण, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में मात्र विलंब किसी भी तरह से अभियोजन के वृत्तांत को कमजोर नहीं बनाता है।"

12. **सोहन सिंह एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य, (2010) 1 एससीसी 68** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकित किया है:

"**13.** जब एक हिंदू महिला द्वारा बलात्कार जैसे अपराध के किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की जानी होती है, तो अंततः प्रतिवेदन दर्ज करने का निर्णय लेने से पहले स्पष्ट रूप से कई प्रश्न विचारार्थ सामने आते हैं। ऐसी पीड़िता की दुर्दशा का आकलन करना कठिन है जिस पर इस तरह का आपराधिक हमला हुआ हो। स्पष्ट रूप से, अभियोक्त्री भी भारी मानसिक उथल-पुथल से गुजरी होगी और गंभीरता से विचार करने के बाद ही उसने प्रतिवेदन दर्ज करने का निर्णय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ली होगी। वास्तव में यही रिपोर्ट में थोड़े विलंब का कारण प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विलंब का स्पष्टीकरण पहले ही उचित पाया जा चुका है। अतः, हमें अब इस मुद्दे पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

13. प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब मात्र अपने आप में संपूर्ण अभियोजन मामले को पूरी तरह से खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायालय को विलंब के स्पष्टीकरण की तलाश करनी होती है और दिए गए कारण की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण करना होता है। यदि विलंब को न्यायालय के संतोष के अनुरूप स्पष्ट कर दिया जाता है, तो इसे अभियोजन के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता। वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) एक अविवाहित युवा युवती थी और घटना के समय उसके पिता घर पर उपस्थित नहीं थे। वह रात्रि लगभग 10 बजे घर लौटे, तब उसने उन्हें घटना के बारे में बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) और साधुराम (अ.सा.-6) ने यह कथन किया कि घटना की तिथि को वे शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अपीलार्थी विनोद कुमार साहू के पिता, गेंदलाल साहू मिले। उस समय वह नशे की स्थिति में था। उसने साधुराम (अ.सा.-6) के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस कारण, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) और साधुराम (अ.सा.-6) प्रतिवेदन दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने नहीं जा सके। अगली सुबह, अर्थात दिनांक 27-3-2002 को प्रातः लगभग 8:30 बजे, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराया गया। अतः, लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत करने और देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) लिपिबद्ध करने में हुए विलंब के लिए अभियोजन द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय और स्वीकार करने योग्य है।

15. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का कथन अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है?

16. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह कथन किया कि दिनांक 26-3-2002 को, दोपहर लगभग 12 बजे, वह पोड़ी बचरा से अपनी साइकिल पर घर लौट रही थी। जैसे ही वह साकरिया में अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के पास पहुँची, दोनों अपीलार्थीगण ने उसे रुकने के लिए कहा। जब वह नहीं रुकी, तो दोनों अपीलार्थीगण ने उसकी साइकिल पकड़ ली। वह नीचे गिर गई। अपीलार्थीगण उसे अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के भीतर ले गए और दरवाजा बंद

कर लिया। अपीलार्थीगण ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबा दिया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने उसके कपड़े उतार दिए और स्वयं के कपड़े भी उतार दिए। उसके पश्चात, उसने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। उस समय, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबाकर उसे पकड़ रखा था।

17. **मोहम्मद इमरान खान विरुद्ध राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), 2012 क्रिमिनल लॉ जर्नल 693 (एससी)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकित किया है:

> **"अभियोक्त्री का साक्ष्य:**
>
> **15.** यह एक सुस्थापित विधि है कि एक महिला, जो यौन हमले की पीड़िता है, वह अपराध में सह-अपराधी नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की हवस की पीड़िता है। अभियोक्त्री एक घायल साक्षी की तुलना में उच्च स्तर पर होती है क्योंकि वह भावनात्मक क्षति से गुजरती है। इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण उसी संदेह के साथ करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि एक सह-अपराधी के मामले में किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके पश्चात 'साक्ष्य अधि.' कहा गया है) में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि भौतिक विवरणों में उसकी संपुष्टि न हो जाए। वह निस्संदेह साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में एक घायल को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी कि एक घायल शिकायतकर्ता या साक्षी के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्य कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान विधि या व्यवहार का ऐसा कोई नियम शामिल नहीं है जो संपुष्टि की तलाश करने की अपेक्षा करता हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्त्री के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके कथन को आश्वासन प्रदान कर सके, जो कि एक सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम हो। यदि मामले के अभिलेख पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता यह प्रकट करती है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई प्रबल आशय नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई करते समय न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहना चाहिए। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को तहस-नहस कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा तक को अपमानित कर देता है और इसलिए, अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन पूरे मामले की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, अन्य साक्षियों का परीक्षण न किया जाना भी अभियोजन के मामले में कोई गंभीर दोष नहीं हो सकता, विशेष रूप से वहाँ जहाँ साक्षियों ने अपराध होते हुए न देखा हो। (देखें: महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, एआईआर 1990 एससी 658: (1990 क्रिमीनल एलजे 889); उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध पप्पू उर्फ यूनुस एवं अन्य, एआईआर 2005 एससी 1248 (2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 6563); और विजय उर्फ चीनी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191) : (एआईआर 2011 एससीसी (क्रि.) 940 : 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 5510) ।

अतः, इस विषय पर जो विधि उभर कर सामने आता है, वह इस प्रभाव का है कि अभियोक्त्री का कथन, यदि विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसे किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय केवल अभियोक्त्री के एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।"

18. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने प्रति-परीक्षण के कंडिका 10 में यह कथन किया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि उसने स्वयं पुलिस थाने में शिकायत (प्रदर्श पी-6) लिखी थी और उस पर उसके पिता साधुराम (अ.सा.-6) तथा एक साक्षी अशोक कुमार श्रीवास्तव के भी हस्ताक्षर हैं। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि यह सत्य है कि जब उसने दिनांक 27-3-2002 को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) दर्ज करायी थी, तब पुलिस अन्वेषण के लिए आई थी और उस समय उसका तथा उसके माता-पिता का कथन अभिलिखित किया था। उसने आगे यह कथन किया कि उसे उसके दाहिने हाथ पर चोट आई थी और उसके अतिरिक्त उसे कोई अन्य चोट नहीं आई थी। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि जब उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया, तो उसे अपना शिकायत लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसने शिकायत में अपनी चीख-पुकार के बारे में नहीं लिखा था।

19. जुगनबाई (अ.सा.-5), साधुराम (अ.सा.-6), सोनमती (अ.सा.-7) और कमलेश्वरी (अ.सा.-8) ने यह कथन किया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थीगण ने उसे पकड़ा, उसका मुँह दबाया और उसके साथ संभोग किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थी विनोद कुमार साहू के पिता, गेंदलाल साहू ने साधुराम (अ.सा.-6, अभियोक्त्री के पिता) के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए, वर्तमान मामले में साधुराम (अ.सा.-6) द्वारा अपीलार्थीगण को झूठा फँसाया गया है और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

21. **बलवंत सिंह एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य, एआईआर 1987 एससी 1080** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> **"14.** हमारे लिए अपीलार्थीगण के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि अभियोक्त्री के पिता की अपीलार्थीगण के विरुद्ध शत्रुता के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह संभव है कि दलीप सिंह और अपीलार्थीगण के बीच मुकदमेबाजी चल रही हो, लेकिन यह सुझाव देना निरर्थक है कि मुकदमेबाजी या अपीलार्थीगण के विरुद्ध किसी भी शत्रुता के कारण, अभियोक्त्री के पिता अपनी बेटी को अपीलार्थीगण द्वारा बलात्कार के मामले में झूठा संलिप्त करेंगे। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से यह अवलोकन किया है कि अपीलार्थीगण, जो कि ऋणी हैं, उनका अपने लेनदार दलीप सिंह की पुत्री कुमारी रजवंत

कौर (अ.सा.-2) के साथ बलात्कार कर उसे बदनाम करने में एक समान हित था। अतः, अपीलार्थीगण के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि उन्हें दलीप सिंह की उनके विरुद्ध शत्रुता के कारण इस मामले में झूठा फँसाया गया है।"

22. **पृथ्वी चंद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1989 एससी 702** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> **"9.** आगे यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के पिता और लड़की के पिता के बीच लंबे समय से चली आ रही शत्रुता के कारण अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया था। अभियोक्त्री ने अपने कथन में कहा है कि दोनों परिवारों के बीच बोलचाल या आना-जाना नहीं था, क्योंकि उनके संबंध तनावपूर्ण थे। प्रति-परीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि रत्ना, जो फूलन देवी (अ.सा.-8) का पुत्र था, उसके अभियोक्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उसी ने लड़की के साथ बलात्कार किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए अपने कथन में, उसने यह पक्ष रखा कि जब वह शाम को अपने गाँव लौटा, तो उसने लड़की के घर पर कुछ महिलाओं को देखा और लड़की को यह कहते सुना कि उसके साथ रत्ना द्वारा बलात्कार किया गया था। यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियोक्त्री और उसके माता-पिता वास्तविक अपराधी को बचने देंगे और अपराध करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाएंगे। फूलन देवी (अ.सा.-8), जो रत्ना की माँ है, के प्रति-परीक्षण में दिए गए सुझाव और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए कथन के अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसी कोई अन्य सामग्री नहीं है जो इस सुझाव को विश्वसनीयता प्रदान कर सके।"

23. **विष्णु उर्फ उंड्या विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2006) 1 एससीसी 283** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकित किया:

> **"24.** अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए अपने कथन में इस बात से पूरी तरह इनकार किया है कि उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोक्त्री के साथ कोई संभोग किया था। उस घटना दिनांक को उसके साथ जबरन संभोग के संबंध में अभियोक्त्री के कथन के बारे में उससे प्रश्न क्र. 19 (मूल अभिलेख का पृष्ठ 154) पूछा गया था, जिसका उसने उत्तर दिया, "यह झूठ है।" उससे प्रश्न क्र. 64 (मूल अभिलेख का पृष्ठ 167) पूछा गया था कि क्या वह अपने बचाव में कुछ और कहना चाहता है, जिस पर उसने उत्तर दिया, "मैं निर्दोष हूँ और मुझे इस मामले में झूठा फँसाया गया है।" उसे किस प्रकार झूठा फँसाया गया है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।**"**

(यह भी देखें: **प्रमोद महतो एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य, एआईआर 1989 एससी 1475**)

24. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में कहा कि घटना की तिथि से एक दिन पूर्व, साधुराम (अ.सा.-6), गोरेलाल और रूपनारायण ने उसके पिता पर हमला किया था और उन्हें एक खेत में फेंक दिया था। उसके चाचा अंबिका (उसके पिता के भाई) उसके घर आए और उसके पिता के बारे में पूछताछ की। तब उसने, अंबिका, विनोद और बुधलाल ने उसके पिता की तलाश की। उन्होंने उसके पिता को खेत में पड़ा हुआ पाया। उसके पिता गेंदलाल साहू ने पुलिस चौकी पोड़ी में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई थी। उसके पिता को चिकित्सीय उपचार हेतु बैकुंठपुर अस्पताल भेजा गया था। इसके पश्चात, साधुराम (अ.सा.-6) ने अपने आप को उसके पिता गेंदलाल साहू द्वारा दर्ज कराए गए मामले से बचाने के लिए, अपनी पुत्री अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के माध्यम से उसके विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज कराया और उसे झूठा फँसाया।

25. अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण के परिवार के सदस्यों और अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के परिवार के सदस्यों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू के पिता गेंदलाल साहू ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत करने और देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) लिपिबद्ध होने से पूर्व पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गेंदलाल साहू द्वारा रिपोर्ट अपीलार्थीगण के पक्ष में बचाव लेने के लिए दर्ज कराई गई थी। यह विश्वास करना संभव नहीं है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) और उसके पिता साधुराम (अ.सा.-6) वास्तविक अपराधी को बचने देंगे और अपीलार्थीगण को झूठा फँसाएंगे। अतः, अपीलार्थीगण द्वारा लिया गया बचाव स्वीकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने योग्य नहीं है।

26. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अंतर्गत अपराध बनता है?

27. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह कथन किया कि दिनांक 26-3-2002 को, दोपहर लगभग 12 बजे, वह पोड़ी बचरा से अपनी साइकिल पर घर लौट रही थी। जैसे ही वह साकरिया में अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के पास पहुँची, दोनों अपीलार्थीगण ने उसे रुकने के लिए कहा। जब वह नहीं रुकी, तो दोनों अपीलार्थीगण ने उसकी साइकिल पकड़ ली। वह नीचे गिर गई। अपीलार्थीगण उसे अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के भीतर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अपीलार्थीगण ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबा दिया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने उसके कपड़े उतार दिए और स्वयं के कपड़े भी उतार दिए। उसके पश्चात, उसने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। उस समय, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबाकर उसे पकड़ रखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह कथन किया कि उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया था। डॉ. श्रीमती एन. यादव रोहन (अ.सा.-2) ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) का परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दी, जिसमें उन्होंने अपनी राय दी कि बलात्कार की निश्चित राय नहीं दी जा सकती, परंतु अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ बलात्कार का प्रयास संभव था।

29. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने प्रति-परीक्षण के कंडिका 10 में यह कथन किया कि उसने स्वयं पुलिस थाने में शिकायत (प्रदर्श पी-6) लिखा था और उस पर उसके पिता साधुराम (अ.सा.-6) तथा एक साक्षी अशोक कुमार श्रीवास्तव के भी हस्ताक्षर हैं। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि यह सत्य है कि जब उसने दिनांक 27-3-2002 को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) दर्ज कराया था, तब पुलिस अन्वेषण के लिए आई थी और उस समय उसका तथा उसके माता-पिता का कथन लिपिबद्ध किया था। उसने आगे यह कथन किया कि उसे उसके दाहिने हाथ पर चोट आई थी और उसके अतिरिक्त उसे कोई अन्य चोट नहीं आई थी। उसने आगे यह साक्ष्य दिया कि जब उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया, तो उसे अपना शिकायत लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसने शिकायत में अपनी चीख-पुकार के बारे में नहीं लिखा था। साधुराम (अ.सा.-6) के साक्ष्य को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लिखित शिकायत (प्रदर्श

पी-6) अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा स्वयं लिखा गया था और उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसने पुलिस थाने में प्रदर्श पी-6 लिखी थी।

30. लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) और देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-10) में, अपीलार्थीगण द्वारा अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ संभोग करने के संबंध में उल्लेख नहीं है। प्रदर्श पी-6 में यह उल्लेख किया गया है कि:

> "निवेदन है कि दिनांक 26.3.2002 को मैं स्कूल से अपने घर जा रही थी तब सकरिया में 12 बजे प्रभु के घर के पास विनोद और हेमन्तचन्द ओ दोनों मेरे सायकल को सामने से पकड़ लिए और मैं गिर गई इसके बाद वह दोनों मेरे को उठाकर कमरे में ले गये और हेमन्तचन्द दरवाजा बन्द कर दिया और विनोद मेरे कपड़े खोल दिया और वह मेरे ऊपर लेट गया और हेमन्त चन्द मेरे हाथ को पकड़ दिया था और मुह में कपड़ा डाला था इसके बाद हेमन्त चन्द की माँ आकर दरवाजा खोली और वह दोनों भाग गये इसके बाद मैं अपने घर आ गई"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31. प्रारंभ में अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-6) प्रस्तुत की थी। प्रदर्श पी-6 में, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने बलात्कार की संपूर्ण घटना का खुलासा नहीं किया था। दिनांक 3-4-2002 को, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोरिया (बैकुंठपुर) को एक अन्य लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-7) दिया गया था। साधुराम (अ.सा.-6) और जुगनबाई (अ.सा.-5) के केस डायरी कथन दिनांक 27-3-2002 को दर्ज किए गए थे। केस डायरी कथनों में भी उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ अपीलार्थीगण द्वारा बलात्कार किया गया था। इसके पश्चात, जब अभियोक्त्री (अ.सा.-4) द्वारा दिनांक 3-4-2002 को दूसरी लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-7) दर्ज करायी गयी, तब बलात्कार की घटना का उल्लेख किया गया था। इसलिए, दूसरी लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-7) संदेहास्पद हो जाता है।

32. अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने विशेष रूप से यह कथन किया कि दोनों अपीलार्थीगण ने उसकी साइकिल पकड़ी, जिसके कारण वह नीचे गिर गई। अपीलार्थीगण उसे अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के भीतर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अपीलार्थीगण ने कपड़े के एक टुकड़े से उसका मुँह दबा दिया। अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने उसके कपड़े उतार

दिए और उसके ऊपर लेट गया। अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने उसका मुँह दबाया और उसके हाथ पकड़ लिए।

33. **कोपुला वेंकट राव विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2004) 3 एससीसी 602** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> **"10.** अपराध करने का प्रयत्न एक ऐसा कार्य, या कार्यों की एक ऐसी श्रृंखला है, जो अनिवार्य रूप से अपराध के घटित होने की ओर ले जाती है, जब तक कि कुछ ऐसा न घटित हो जाए जिसे कर्ता ने न तो देखा था और न ही जिसका आशय किया था। एक प्रयास को आपराधिक योजना के आंशिक निष्पादन में किए गए कार्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो केवल तैयारी से अधिक है, लेकिन वास्तविक पूर्णता से कम है, और पूर्णता की विफलता को छोड़कर, इसमें मूल अपराध के सभी तत्व मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रयत्न में अपराध करने का आशय शामिल होता है, जो इसके वास्तविक निष्पादन या पूर्णता/समाप्ति से कम रह जाता है। परिणामतः इसे उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यदि रोका न गया होता, तो प्रयत्न किए गए कार्य की पूर्णता में परिणत होता। धारा 511 में दिए गए दृष्टांत स्पष्ट रूप से मात्र तैयारी और प्रयत्न के मामलों के बीच अंतर करने के विधायी आशय को दर्शाते हैं।
>
> **11.** किसी अभियुक्त को बलात्कार करने के आशय से किए गए प्रयत्न का दोषी पाए जाने के लिए, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जब अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पकड़ा था, तो वह न केवल उसके शरीर पर अपनी वासना तृप्त करना चाहता था, बल्कि उसका आशय हर हाल में और उसकी ओर से किसी भी प्रतिरोध के बावजूद ऐसा करने का था। अभद्र हमलों को अक्सर बलात्कार के प्रयत्न के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि अभियुक्त का आचरण हर परिस्थिती में और सभी प्रतिरोधों के बावजूद अपनी वासना तृप्त करने के दृढ़ संकल्प का सूचक था, तथ्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्यमान होने चाहिए। आस-पास की परिस्थितियाँ कई बार इस पक्ष पर प्रकाश डालती हैं।

**12.** बलात्कार के अपराध की अनिवार्य शर्त प्रवेशन है, न कि वीर्यपात। बिना प्रवेशन के वीर्यपात, बलात्कार के प्रयत्न का गठन करता है न कि वास्तविक बलात्कार का। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में समाहित 'बलात्कार' की परिभाषा 'यौन संभोग' को संदर्भित करती है और धारा के साथ जुड़े स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग के गठन हेतु प्रवेशन ही पर्याप्त है। संभोग का अर्थ है यौन संबंध। वर्तमान मामले में वे संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय अपने दृष्टिकोण में सही नहीं थे।"

34. वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री (अ.सा.-4) को पकड़ा, उसे अपीलार्थी हेमंतचंद साहू के घर के भीतर ले गए, उसे नीचे गिरा दिया, अपीलार्थी विनोद कुमार साहू ने उसके कपड़े उतार दिए, उसे चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुँह दबा दिया और उसके साथ बलात्कार करने के आशय से उसके ऊपर लेट गया। उस समय, अपीलार्थी हेमंतचंद साहू ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। अभियोक्त्री (अ.सा.-4) ने यह बताया कि जब अपीलार्थी हेमंतचंद साहू की माँ वहाँ पहुँची, तो अपीलार्थी विनोद कुमार साहू उसके शरीर के ऊपर से खड़ा हो गया और दोनों अपीलार्थीगण वहाँ से भाग गए। यह अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ बलात्कार करने के संबंध में अपीलार्थीगण के एक दृढ़ आशय को दर्शाता है। यदि अपीलार्थी हेमंतचंद साहू की माँ वहाँ नहीं आई होतीं, तो दोनों अपीलार्थीगण ने निश्चित रूप से अभियोक्त्री (अ.सा.-4) के साथ बलात्कार किया होता। अतः, लड़की के साथ बलात्कार करने के स्पष्ट, निश्चित और दृढ़ आशय के साथ अपीलार्थीगण द्वारा किए गए कार्यों की यह पूरी श्रृंखला स्पष्ट रूप से बलात्कार के प्रयत्न की श्रेणी में आती है।

35. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, यौन संभोग आवश्यक है। संभोग का अर्थ है यौन संबंध। वर्तमान मामले में, वह संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका अपराध धारा 376/511 के अधीन दंडनीय है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

36. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, अपीलार्थीगण की धारा 376(2)(छ) के तहत दोषसिद्धि को अपास्त करना और उन्हें धारा 376/511 के तहत दोषसिद्ध करना उचित होगा।

37. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 341/34, 342 और 342/34 के तहत दोषसिद्धि का संबंध है, उसके स्थान पर अपीलार्थीगण को केवल धारा 341/34, 342/34 और 376/511 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

38. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342 और 376(2)(छ) के तहत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है, किंतु उन्हें धारा 341/34, 342/34 और 376/511 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अपीलार्थीगण को धारा 376/511 के अंतर्गत अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें धारा 341/34 और 342/34 के अंतर्गत दी गई सजाएं यथावत रखी जाती हैं। धारा 376/511 के तहत प्रत्येक अपीलार्थी पर 1,000/- रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है, जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, वे 5 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के उत्तरदायी होंगे। अपीलार्थी शेष कारावास का दण्ड, यदि कोई हो, पूरी करने के लिए तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**हस्ताक्षरित/-**

**आर. एस. शर्मा**

**न्यायमूर्ति**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By_____Adv NEETA VERMA_____**